टेण्डर मूल्य 1000/– रूपये रसीद क्रमांक : ———————— दिनांकः ——————————

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विश्वविद्यालय के छात्रावासों में मैस के लिये निविदा प्रपत्र

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आर्यभट्ट, कैप्टन रूपसिंह, मृगनयनी, तात्याटोपे छात्रावासों में छात्रों एवं छात्राओं के लिये मैस संचालित की जाना है। विश्वविद्यालय के उक्त चारों छात्रावासों में लगभग 500 छात्र/छात्राओं के लिये भोजन व्यवस्था की जानी है। इस हेतु निविदा की शर्ते निम्नलिखित हैं :–

1– निविदाकर्ता को किसी छात्रावास की मैस/महाविद्यालय या किसी संस्थान की केन्टीन का सफलतापूर्वक संचालित करने का पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

2– निविदाकर्ता के पास आयकर पेन नंबर होना अति आवश्यक है।

3– विश्वविद्यालय के उक्त चारों छात्रावासों के मैस में छात्रों एवं छात्राओं के लिये भोजन आदि की व्यवस्था निम्न प्रकार से संचालित करना होगी :–

दिन	नाश्ता एवं चाय	दोपहर का खाना	शाम की चाय	रात का खाना
सोमवार	ब्रेड 4 स्लाइस (फुल साइज), आलू सेण्डबिच, बटर 10 ग्राम, अचार 10 ग्राम, चाय 200 मि0ली0	राजमा, मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, ताजा दही, 100 ग्राम, अचार 10 ग्राम सलाद, मिक्स प्याज, मूली, खीरा, टमाटर, चुकन्दर, ककड़ी आदि में से कोई भी तीन बराबर मात्रा में तथा 100 ग्राम (आधा)नीबू, पापड़ फ्रायड–एक	200 मि0 ली0	दाल अरहर, मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, अचार 10 ग्राम, सलाद, मिक्स 100 ग्राम, आधा नीबू, पापड़ फ्रायड –1
मंगलवार	सादा पराठा–3, ताजा दही 100 ग्राम,/ पूरी–6, सब्जी (आलू मटर,टमाटर)150 ग्रा0, अचार 10 ग्राम, चाय 200 मि0ली0	कड़ी पकौड़ी के साथ, मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, ताजा दही, 100 ग्राम, अचार 10 ग्राम सलाद, मिक्स प्याज, मूली, खीरा, टमाटर, चुकन्दर, ककड़ी आदि में से कोई भी तीन बराबर मात्रा में तथा 100 ग्राम, (आधा)नीबू, पापड़ फ्रायड–एक	200 मि0 ली0	दाल चना, मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, अचार 10 ग्राम, सलाद, मिक्स 100 ग्राम आधा नीबू, पापड़ फ्रायड –1
बुधवार	इडली–4 नग, सांवर 150 ग्राम, छोले 150 ग्राम, बटूरे –2, अचार 10 ग्राम, चाय 200 मि0ली0	अरहर मिक्स दाल, मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, ताजा दही, 100 ग्राम, अचार 10 ग्राम सलाद, मिक्स प्याज, मूली, खीरा, टमाटर, चुकन्दर, ककड़ी आदि में से कोई भी तीन बराबर मात्रा में तथा 100 ग्राम, (आधा)नीबू, पापड़ फ्रायड–एक	200 मि0 ली0	सोयाबीन बड़ी या कोप्ता, मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, अचार 10 ग्राम, सलाद, मिक्स 100 ग्राम, आधा नीबू, पापड़ फ्रायड –1
गुरूवार	आलू पराठा–2, दही ताजा 100 ग्राम, अचार 10 ग्राम, चाय 200	दाल अरहर, मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, ताजा दही, 100 ग्राम, अचार 10 ग्राम, सलाद, मिक्स प्याज,	200 मि0 ली0	दाल मिक्स,मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, अचार 10 ग्राम सलाद, मिक्स

	मि0ली0	मूली, खीरा, टमाटर, चुकन्दर, ककड़ी आदि में से कोई भी तीन बराबर मात्रा में तथा 100 ग्राम, (आधा)नीबू, पापड़ फ्रायड–एक		100 ग्राम आधा नीबू, पापड़ फ्रायड –1
शुक्रवार	बेड़ई–4 नग, सब्जी (आलू टमाटर) 150 ग्राम अचार 10 ग्राम, चाय 200 मि0ली0	दाल मसूर,, मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, ताजा दही, 100 ग्राम, अचार 10 ग्राम सलाद, मिक्स प्याज, मूली, खीरा, टमाटर, चुकन्दर, ककड़ी आदि में से कोई भी तीन बराबर मात्रा में तथा 100 ग्राम (आधा)नीबू, पापड़ फ्रायड–एक	200 मि0 ली0	मौसम की गीली सब्जी, दाल चना, लौकी,चावल रोटी, अचार 10 ग्राम सलाद, मिक्स 100 ग्राम, आधा नीबू, पापड़ फ्रायड –1
शनिवार	सूजी हलवा–150 ग्राम, चवना 100 ग्राम, चाय 200 मि0 ली0	मौसम की गीली सब्जी, दाल रमास (ब्लेक), चावल रोटी, ताजा दही, 100 ग्राम, अचार 10 ग्राम, सलाद, मिक्स प्याज, मूली, खीरा, टमाटर, चुकन्दर, ककड़ी आदि में से कोई भी तीन बराबर मात्रा में तथा 100 ग्राम, (आधा)नीबू, पापड़ फ्रायड–एक	200 मि0 ली0	दाल अरहर, मौसम की सूखी सब्जी, चावल रोटी, अचार 10 ग्राम सलाद, मिक्स 100 ग्राम, आधा नीबू, पापड़ फ्रायड –1
रविवार	नमकीन पोहा–150 ग्राम चाय 200 मि0 ली0	दाल मखानी/पनीर सब्जी/छोले पनीर/दाल मलका (ब्लेक)/सोयाबीन की बड़ी/ मटर पनीर एवं सूखी मौसम की मिक्स सब्जी, रायता (बूंदी आदि), फ्रायड जीरा चावल, सलाद मिक्स 100 ग्राम आधा नीबू, फ्रायड पापड़–1, अचार 10 ग्राम,मीठा एक पीस (50 ग्राम) गुलाब जामुन/जलेबी /सफेद रसगुल्ला/खीर 150 ग्राम, कस्टर्ड 150 ग्राम।	200 मि0 ली0	दाल मूंग, मौसम की गीली सब्जी, चावल, रोटी, अचार 10 ग्राम सलाद, मिक्स 100 ग्राम, आधा नीबू, पापड़ फ्रायड –1

नोट :

- गीली एवं सूखी सब्जियाँ मौसम के अनुसार दी जावेंगी तथा कोई भी मौसम के अनुसार सब्जी (गीली या सूखी) सप्ताह में केवल एक बार बनाई जायेगी। मेन्यू में दर्शाई एक से अधिक नग (जैसे ब्रेड/सैण्डबिच) से तात्पर्य एक सप्ताह पहला नग तथा दूसरे सप्ताह से दूसरा नग देना अनिवार्य है।
- सुबह की चाय/नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय एवं रात्रि भोजन के लिए समय का निर्धारण संबंधित छात्रावासों के वार्डन द्वारा किया जावेगा।

4– उपरोक्त टेण्डर की अवधि कार्य आदेश के दिनांक से एक वर्ष के लिये होगी। कार्य संतोषजनक होने पर वार्डन की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति जी की स्वीकृति के उपरान्त टेण्डर की अवधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है।

5– छात्रावासों में किचिन में उपयोगी होने वाली वस्तुऐं एवं सामान की समस्त व्यवस्थायें सफल निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। यदि किचिन, डायनिंग हॉल एवं बर्तनों की सफाई संतोषजनक नहीं पाई जाती है अथवा निर्धारित मैन्यू में परिवर्तन किया जाता है तो वार्डन की अनुशंसा के आधार पर कुलसचिव को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

6— निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 50,000/— (पचास हजार केवल) का बैंक ड्राप्ट ''कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर'' के नाम से संलग्न करना होगा। सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि छात्रावासों में मैस का सफलतापूर्वक संचालन करने के उपरान्त ही वापिस हो सकेगी।

7— सफल निविदाकर्ताओं द्वारा छात्रों एवं छात्राओं को प्रदाय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों का निरीक्षण वार्डन द्वारा किया जा सकेगा। खाद्य पदार्थ उचित गुणवत्ता का न होने या खाद्य पदार्थ खाने योग्य न पाये जाने पर विश्वविद्यालय ठेकेदार पर नियमानुसार उचित कार्यवाही करेगा।

8— मैस के प्रति छात्र/छात्रा प्रतिमाह की दर निविदाकर्ता अपने लेटरहेड पर निविदा शर्तों के साथ सील बन्द लिफाफे में रखकर 05.02.11 तक कार्यालयीन समय में ''कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर'' के नाम स्पीड पोस्ट से भेजना होगी एवं लिफाफे पर ''छात्रावासों में मैस हेतु निविदा'' लिखना होगी। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

9— सफल निविदाकर्ता के द्वारा प्रतिमाह, माह के प्रथम सप्ताह में मैस का बिल वार्डन/कुलसचिव संबंधित छात्रावास का नाम, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। बिल का भुगतान संबंधित छात्रावास द्वारा एकाउण्टपेयी चैक के माध्यम से किया जावेगा।

10— छात्रावासों में भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों पर समय—समय पर निर्धारित दर से आयकर की कटौती की जावेगी, जिसका कि प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जावेगा।

11— प्रस्तुत बिलों पर सर्विस टैक्स अथवा शासन द्वारा कोई भी अधिरोपित कर ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।

12— निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

13— मैस ठेकेदार किसी बाहरी व्यक्ति/छात्र अथवा महिला/छात्रा को छात्रावास मैस में वार्डन की बिना अनुमति के खाना नहीं खिला सकता। अन्य संस्था/व्यक्ति के लिये छात्रावासों की किचिन का प्रयोग खाना बनाकर सप्लाई करने में नहीं कर सकता है, यदि ऐसा करता पाया जाता है तो ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

14— छात्रावासों की किचिन में होने वाली किसी भी प्रकार की टूट—फूट ठेकेदार द्वारा तुरन्त ठीक करानी होगी।

15— मैस ठेकेदार को छात्रावासों के नियमों का पूर्णतया पालन करना होगा। नियमों को पालन करने में कोताही पाये जाने पर संबंधित वार्डन द्वारा ठेका निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

16— छात्रावासों की मैस में ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त विद्युत उपकरण का विद्युत चार्ज लिया जावेगा। विद्युत चार्ज का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।

17— विश्वविद्यालय के चारों छात्रावासों (दो छात्रावास छात्रों के लिये एवं दो छात्रावास छात्राओं के लिये) में ठेकेदार द्वारा पृथक—पृथक मैस संचालित की जावेगी।

कुलसचिव